

परिशिष्ट सारणी 5 : पूंजीगत प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए)

| मद                                    | 2003-04<br>(लेखा) | 2004-05<br>(लेखा) | 2005-06<br>(बजट अनुमान) | 2005-06<br>(संशोधित अनुमान) | 2006-07<br>(बजट अनुमान) | घटबढ़                  |              |                        |            |                        |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|
|                                       |                   |                   |                         |                             |                         | कॉ.3 की तुलना में कॉ.5 |              | कॉ.4 की तुलना में कॉ.5 |            | कॉ.5 की तुलना में कॉ.6 |             |
|                                       |                   |                   |                         |                             |                         | राशि                   | प्रतिशत      | राशि                   | प्रतिशत    | राशि                   | प्रतिशत     |
| 1                                     | 2                 | 3                 | 4                       | 5                           | 6                       | 7                      | 8            | 9                      | 10         | 11                     | 12          |
| <b>अ. कुल प्राप्तियाँ (1 से 11)</b>   | <b>2,10,562</b>   | <b>2,04,687</b>   | <b>1,49,413</b>         | <b>1,59,136</b>             | <b>1,51,969</b>         | <b>-45,551</b>         | <b>-22.3</b> | <b>9,722</b>           | <b>6.5</b> | <b>-7,167</b>          | <b>-4.5</b> |
| 1. बाह्य ऋण                           | —                 | —                 | —                       | —                           | —                       | —                      | —            | —                      | —          | —                      | —           |
| 2. आंतरिक ऋण*                         | 1,54,651          | 1,47,122          | 1,01,722                | 1,22,473                    | 1,10,700                | -24,649                | -16.8        | 20,752                 | 20.4       | -11,773                | -9.6        |
| जिसमें से :                           |                   |                   |                         |                             |                         |                        |              |                        |            |                        |             |
| बाजार ऋण (सकल)                        | 52,257            | 40,447            | 23,237                  | 23,806                      | 28,268                  | -16,641                | -41.1        | 569                    | 2.4        | 4,462                  | 18.7        |
| एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ @ | 67,221            | 87,431            | 60,494                  | 84,263                      | 64,815                  | -3,168                 | -3.6         | 23,769                 | 39.3       | -19,448                | -23.1       |
| 3. केंद्र से प्राप्त ऋण @             | 26,127            | 26,157            | 31,216                  | 10,911                      | 13,525                  | -15,246                | -58.3        | -20,305                | -65.0      | 2,614                  | 24.0        |
| 4. ऋण और अग्रिमों की वसूली            | 16,414            | 8,567             | 5,505                   | 7,459                       | 5,513                   | -1,109                 | -12.9        | 1,954                  | 35.5       | -1,946                 | -26.1       |
| 5. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)  | 9,325             | 8,883             | 9,489                   | 10,423                      | 10,336                  | 1,540                  | 17.3         | 934                    | 9.8        | -87                    | -0.8        |
| 6. आकस्मिक निधि                       | -176              | 208               | —                       | -51                         | 57                      | -259                   | -124.6       | -51                    | —          | 108                    | -210.6      |
| 7. आरक्षित निधि **                    | 6377              | 7,127             | 4,205                   | 3,250                       | 4,365                   | -3,877                 | -54.4        | -955                   | -22.7      | 1,115                  | 34.3        |
| 8. जमा और अग्रिम ***                  | -374              | 8,074             | -2,800                  | -702                        | -1,154                  | -8,776                 | -108.7       | 2,098                  | -74.9      | -452                   | 64.4        |
| 9. आकस्मिक निधि में विनियोग           | —                 | -75               | —                       | -1                          | —                       | 74                     | -99.2        | -1                     | —          | 1                      | -100.0      |
| 10. विप्रेषण                          | 1,850             | 1,240             | 1,661                   | 957                         | 1,975                   | -282                   | -22.8        | -703                   | -42.4      | 1,018                  | 106.3       |
| 11. अन्य #                            | -3,632            | -2,617            | -1,585                  | 4,415                       | 6,652                   | 7,032                  | -268.7       | 6,000                  | -378.6     | 2,236                  | 50.6        |

\$ : भारत के संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाह्य एजेंसियों से संसाधन ही नहीं जुटा सकता।

'—' : नगण्य / शून्य

\* भा.स्टेट.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट को छोड़कर इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि प्रतिकर बांड भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आदि नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि से दिए गए ऋण शामिल हैं।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश जो अब तक केंद्र से ऋण शीर्ष के अंतर्गत आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता था, अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

\*\* आरक्षित निधि में, ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ (जैसे सहाकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियाँ) और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ (जैसे ऋण शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

\*\*\* जमा राशियों और अग्रिमों में ब्याजवाली जमा राशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा राशि) और ब्याज-रहित जमा राशि (जैसे रक्षा और डाक जमा राशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल हैं।

# उच्च और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (खाता) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखा अनुदान पर आधारित हैं।

3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल। परिशिष्ट III की टिपणियाँ भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।